

कार्यालय, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- 7763/स्था0-1/एक-क/15/5/18/2019-20

दिनांक 24/12/19

शासन के आदेश संख्या-48प0म0/37-1-2019-2(36)/2018, दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 की पृष्ठांकन प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- डा0 सुभाष चन्द्र जायसवाल, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बाराबंकी।
- 2- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बाराबंकी/झाँसी।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाराबंकी/कलेक्ट्रेट, लखनऊ/झाँसी।
- 4- जिलाधिकारी, बाराबंकी/लखनऊ/झाँसी।
- 5- अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, झाँसी/बी0पी0संस्थान, लखनऊ।
- 6- अपर निदेशक ग्रेड-2, मानकीकरण, बी0पी0संस्थान, लखनऊ।
- 7- श्री नवीन कुमार गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/अपर निदेशक ग्रेड-2 में मेल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 8- वैयक्तिक सहायक निदेशक (प्रशासन एवं विकास/रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 9- अनु सचिव, पशुधन-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।


(डा0यू0पी0सिंह)
निदेशक

 प्रशासन एवं विकास

उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-48प0म0/37-1-2019-2(36)/2018

लखनऊ: दिनांक 20 दिसम्बर, 2019

कार्यालय-आदेश

एतद्वारा पशुधन अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-2206/37-1-2019-2(36)/2018 दिनांक 27.11.2019 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से पशुपालन विभाग के निम्नलिखित नव-प्रोन्नत अपर निदेशक ग्रेड-2 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1	2	3	4
क्र० सं०	अधिकारी का नाम/पदनाम/वर्तमान तैनाती का स्थान	ज्येष्ठता क्रमांक	नवीन तैनाती का स्थान
1	डा० सुभाष चन्द्र जायसवाल, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बाराबंकी	522	अपर निदेशक ग्रेड-2, मानकीकरण पशु जैविक औषधि संस्थान, लखनऊ (दिनांक 31-12-2019 को रिक्ति के उपरान्त)।

2- संबंधित अधिकारी तत्काल आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वतः ही कार्यमुक्त समझे जाये।

3- उक्त आदेश को इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाये।

बी०एल० मीणा

प्रमुख सचिव।

संख्या- 48प0म0(1)/37-1-2019तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- ✓(1) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- (2) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- (3) संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- (4) संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- (5) संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
- (6) गार्ड फाइल।

संनिधि प्रमुख
20.12.2019

श्री फागेर
20/12/19
304

आज्ञा से,
P.S.R.
(डॉ प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।